डॉ.बी.पी.माथुर पुत्र श्री गयाप्रसाद माथुर निवासी सौनचिरैया होटल के पीछे, ग्वालियर रोड़ बाईपास चौराहे के पास, जिला शिवपुरी (म0प्र0)

——आवेदक

बनाम

1—फेरनसिंह 2—अमरसिंह पुत्रगण जीना परिहार 3—सरदारसिंह पुत्र भगवानलाल रावत निवासी ग्राम जसराजपुर, तहसील व जिला शिवपुरी (म0प्र0)

4—म.प्र. शासन द्वारा तहसीलदार श्री आर.के.पाण्डेय, तहसील व जिला शिवपुरी (म0प्र0)

——अनावेदकगण

-16 को

11-4-16

3

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 1206/।।।/14 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6.5.14	यह निगरानी तहसीलदार शिवपुरी व्दारा प्रकरण कमांक 02/13–14 अ–76 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 16–12–13 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय में दिनांक 11–4–14 को प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने। उन्होंने अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुये निगरानी सुनवाई में लेने की मांग की। 3/ निगरानीकर्ता के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्कों पर विचार करने एंव तहसीलदार शिवपुरी के आदेश दिनांक 16–12–13 के अवलोकन पर पाया कि इस आदेश के विरूद्व न्यायालय में निगरानी 11–4–14 को प्रस्तुत की गई है, जबकि नायव तहसीलदार के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदक को 27–1–14 को आवेदन देने पर 22–2–14 को प्राप्त हो चुकी है जैसाकि प्रमाणित प्रतिलिपि के पीठ पृष्ठ पर हैड कापिस्ट व्दारा मुद्रा सहित अंकित तिथि से स्पष्ट है। इस प्रकार 16–12–13 से 11–4–14 तक 115 दिवस होते हैं और प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने में व्यतीत समय 27 दिवस कम करने पर 88 दिवस के अन्तर से निगरानी किया जाना पाया गया है।	